विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

आठवीं विधान सभा
(EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

नियम समिति का
प्रथम प्रतिवेदन

(04 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत)

FIRST REPORT OF RULES COMMITTEE

(PRESENTED ON 04th AUGUST, 2025)

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

INDEX

Sl. No.	Contents	Page No.
1	Composition of the Committee	1
2	Preface	2
3	Report	3
4	Annexure 1 Extract of the Rules of Rules Committee	10

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NCT OF DELHI

RULES COMMITTEE

Composition of the Rules Committee (2025-2026):

1.	Shri Vijender Gupta, Hon'ble Speaker	Chairperson
2.	Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Deputy Speaker	Member
3.	Shri Ashok Goel	Member
4.	Shri Jarnail Singh	Member
5.	Shri Pravesh Ratn	Member
6.	Shri Sandeep Sehrawat	Member
7.	Smt. Shikha Roy	Member
8.	Shri Umang Bajaj	Member
9.	Shri Virender Singh Kadian	Member

Assembly Secretariat:

1.	Shri Ranjeet Singh	Secretary
2.	Shri Sadanand Sah	Deputy Secretary
3.	Shri Ravinder Kumar	Section Officer
4.	Shri Raghu Nath	Section Officer

Special Invitee:

Shri C. Velmurugan	Legal Counsel

PREFACE

In its sitting held on the 5th June' 2025, the members of the Rules Committee decided to have a relook at the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Legislative Assembly of NCT of Delhi (hereinafter Rules) with the following objectives:

Review and Amend the Rules of the Delhi Assembly:-

(i) Confirm to the Amendments made to the Government of NCT of Delhi Act, 1991.

(ii) By adopting gender-neutral and simple language

(iii) To incorporate the new Committees, nominated by the Speaker, in the Rules.

On the directions of the Committee the Secretariat drafted the First Report for incorporation of the Rules of new Committees in the Rules of Procedure, which is now to be presented to the House.

The Report regarding review and amendment of the Rules to bring it in conformity with the GNCTD Act, 1991 and usage of gender neutral and simple language shall be presented separately.

On behalf of the Committee, I place on record my appreciation to the Officers of the Assembly Secretariat for their sincere and thorough efforts in preparing this Report.

The First Report of the Committee was adopted by the Committee in its sitting held on 31.07.2025. The Committee authorised Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Deputy Speaker and in his absence Shri Ashok Goel, Hon'ble Member of the Committee to present this Report to the House.

Delhi

Date: 01.08.2025

(Vijender Gupta)
Speaker &
Chairperson Rules Committee

REPORT

In its sitting held on 5th June 2025, the Rules Committee unanimously agreed that the Rules of the following Committees, which were nominated by the Speaker and already functioning, should be included in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Delhi Assembly:

1. Committee on Salary and Other Allowances of the Member
2. Committee on Municipal Corporation of Delhi
3. Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers with Members
4. Committee on Peace & Harmony
5. Committee on Welfare of Senior Citizens.
6. Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability.

The Committee, in its sitting held on 31st July 2025 examined the proposed Rules drafted by the Secretariat in detail. The proposed Rules for the six Committees as approved by the Rules Committee is as follows:

1. Committee on Salary and Other Allowances of the Members:

Under Section 19 of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Act, 1991 the Members of the Legislative Assembly are entitled to receive such salaries and allowances, as may from time-to-time be determined by the Legislative Assembly by law. In order to recommend on issues of revision of salary, allowances and other related matters, the Parliament and State Legislatures have a Committee on Salary and Allowances. In Delhi Assembly also a Committee on Salary and Allowances has been constituted every year by the Speaker. However, it has been functioning in an *adhoc* manner without any terms and conditions or rules. In order to give this committee a clear mandate and define its functioning, it is proposed to include the Rules of the Committee in our Rules of Procedure. The proposed Rules are:

(Z) Committee on Salary, Allowances and Other Facilities to Members

244 F. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Salary, Allowances and Other Facilities to Members consisting of not more than nine members nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 G. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

1. *to review the Salary and other Allowances of the Members and recommend for its revision, if necessary.*

2. *to review the facilities available to the Members and recommend for its revision, if necessary.*

3. *to examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker and make such recommendations as it may deem fit.*

2. Committee on Municipal Corporation of Delhi:

In its sitting held on 10th June 2016, the House constituted a Committee on Municipal Corporations in Delhi to deal with issues relating to the three erstwhile Municipal Corporations viz. SDMC, EDMC and NDMC which were later merged as one single corporation. Thereafter the Speaker re-constituted the Committee every year. In its sitting held on 5th June 2025, the Rules Committee decided to frame the Rules for the said Committee and incorporate it in the Rules of Procedure.

The proposed Rules are:

(ZA) Committee on Municipal Corporation of Delhi

244 H. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Municipal Corporation of Delhi consisting of not more than nine members nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 I. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

1. *to report what economies, improvements in organization, efficiency or reforms may be effected in the functioning of the Municipal Corporation of Delhi.*

2. *to report what steps needs to be taken to ensure efficient delivery of services provided by the Municipal Corporation of Delhi to the citizens of Delhi.*

3. *to consider and report on the audit reports and accounts of the Municipal Corporation of Delhi as may be selected by the Committee;*

4. *to examine and report, in the context of autonomy, whether affairs of the Municipal Corporation of Delhi are being managed in accordance with the provisions of law;*

5. *to examine and report, whether the funds sanctioned to the Municipal Corporation of Delhi are utilized optimally; and*

6. *to examine and report on any other aspect of the working of the Municipal Corporation of Delhi, as may be referred to it by the House or the Speaker.*

3. Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers with Members:

The Committee was first elected by the House in its sitting held on 02.04.2018 during the VI Assembly. Thereafter, it was re-constituted by the Speaker every year. The Committee has been constituted on the lines of a similar Committee in the Lok Sabha, which was constituted by the Lok Sabha Speaker on 15th September 2014. The Committee recommends that the Rules for this Committee should be incorporated in the Rules of the Delhi Assembly. The proposed Rules are:

(ZB) Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers with Members

244 J. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour by Government Officers with MLAs consisting of not more than nine Members nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 K. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

(1) to examine every complaint referred to it by the Speaker relating to –

- *(i) violation of protocol norms laid down from time to time regarding official dealings with Members;*
- *(ii) violation of instructions or guidelines issued by the Government regarding official dealings between Administration and Members; and*
- *(iii) discourteous behaviour by Government servants with a Member during official dealings.*

(2) make such recommendations as it may deem fit.

244 L. Procedure for examination of complaints -

The procedure which shall be followed by the Committee for examining complaints referred to it shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry, determination and report by the Committee of Privileges.

4. Committee on Peace and Harmony:

The Speaker constituted the Committee on Peace and Harmony on 02nd March 2020 and thereafter it was reconstituted every year. In its sitting held on 5th June 2025, the Rules Committee decided to frame the Rules for the said Committee and incorporate in the Rules of Procedure. The constitution and powers of the Committee to summon witnesses, was challenged in the Hon'ble Supreme Court in the matter "Ajit Mohan & Ors. V. Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi & Ors {popularly known as the Facebook matter WP (C) 1088 of 2020}". The Hon'ble Supreme Court dismissed the petition and upheld the Assembly's right to proceed on grounds of breach of privilege and its power to compel attendance of Members and Non-Members. However, it struck down the following from the Terms of Reference of the Committee on the grounds that it was beyond the legislative competence of the Delhi Assembly: *"4 (vii) to recommend action against such persons against whom incriminating evidence is found or prima facie case is made out for incitement of violence."*

Keeping in view the decision of the Hon'ble Supreme Court, the proposed Rules of the Committee on Peace and Harmony is proposed as follows:

(ZC) Committee on Peace and Harmony

244 M. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Peace and Harmony consisting of not more than nine members nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 N. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

1. to consider the petitions, complaints or reports from the members of the public, social organisations, journalists etc. on the situations prevailing in a particular area/ areas which have the potential to

disturb communal peace and harmony or where communal riots have occurred and to examine in detail and identify the factors responsible for it.

2. to recommend suitable measures to defuse the situation and restore harmony among religious communities, linguistic communities or social groups.

3. to recognise, reward and felicitate individuals who played a role in the protection of fellow citizens during acts of communal violence, or undertook any activity that led to the restoration of peace in the state

4. to recognise, reward and felicitate individuals whose information resulted in the registration of First Information Reports (FIRs) in relation to the crimes committed during the communal riots

5. to undertake scientific study of the religious, linguistic and social composition of the population of NCR Delhi, with a view to identifying and strengthening the factors which unite the people despite the diversity in terms of their social, religious, economic and cultural tradition

6. to recommend measures to be undertaken by the government towards establishing communal harmony and peace in the state

7. to examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker.

5. Committee on Welfare of Senior Citizens:

The Committee on Welfare of Senior Citizens was constituted on 02nd June' 2025. In its sitting held on 5th June 2025, the Rules Committee agreed that the Rules of the said Committee should be incorporated in the Rules of Procedure. The proposed Rules are as follows:

(ZD) Committee on the Welfare of Senior Citizens

244 O. Constitution of the Committee -

There shall be a Committee on the Welfare of Senior Citizens, consisting of not more than nine members, to be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is

appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 P. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

1. *to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Senior Citizens and report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview.*
2. *to examine and report on the complaints and representations regarding-*
   - *(i) the implementation and execution of various schemes of the Government for Senior Citizens;*
   - *(ii) the functioning of private and government institutions and Departments dealing with the matters of Senior Citizens.*
3. *to ensure that the funds allotted by the Government for Senior Citizens are properly utilised for the purpose for which it was intended.*
4. *to suggest remedial measures for any or all of the above mentioned matters.*
5. *to examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker.*

6. Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability:

'The Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability' was constituted on 02nd June' 2025. In its sitting held on 5th June 2025, the Rules Committee agreed that the Rules of the said Committee should be incorporated in the Rules of Procedure. The proposed Rules are as follows:

(ZE) Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability

244 Q. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Transgenders and Persons with Disability, consisting of not more than nine members, to be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 R. Functions of the Committee:

The following shall be the functions of the Committee -

1. *to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Transgenders and Persons with Disability and report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview.*
2. *to examine, the complaints and representations regarding, -*
   (i) the implementation and execution of various schemes of the Government for Transgenders and Persons with Disability;
   (ii) the functioning of private and government institutions and Departments dealing with the matters of Transgenders and Persons with Disability.
3. *to ensure that the funds allotted by the Government for Transgenders and Persons with Disability are properly utilised for the purpose for which it was intended.*
4. *to suggest remedial measures for any or all of the above mentioned matters.*
5. *to examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker.*

Recommendation: The Rules Committee recommends that the proposed Rules of the above mentioned six Committees, as approved by the Rules Committee be incorporated in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Delhi Assembly.

Delhi

Date: 01.08.2025

Vijender Gupta
Speaker &
Chairperson Rules Committee

Annexure-1

Extract of the Rules of Rules Committee:

214. Constitution of the Committee

The Rules Committee shall consist of not more than nine members including the Speaker and the Deputy Speaker. Rest of the members shall be nominated by the Speaker.

215. Functions of the Committee

There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the House and to recommend any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

216. Notice of amendments in Rules

Any member may give notice of amendment to any of these Rules, but such a notice shall be accompanied with the Statement of Objects and Reasons for the amendment. On receipt of such a notice, the Speaker shall refer the same, if it is not out of order, to the Committee for consideration.

217. Chairman of the Committee

The Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee. If the Speaker for any reason is unable to act as Chairman of the Committee, the Deputy Speaker shall be the Chairman for that sitting. If both are unable to preside for any reason, the Speaker shall nominate a Chairman for that sitting from amongst the members of the Committee.

218. Procedure for the amendment of the Rules

(1) The recommendations of the Committee shall be laid on the

Table and any member may, within a period of three days beginning with the day when it is so laid on the Table, give notice of an amendment including a motion to refer all or any of the recommendations of the Committee for the reconsideration of the Committee together with the objects and reasons for such amendment.

(2) If no notice of amendment to the recommendations of the Committee is given within the period mentioned in Sub-Rule (1), the recommendations of the Committee shall be deemed to have been approved by the House on the expiry of the said period and shall be incorporated in the Rules.

(3)If notice of any amendment is received within the period prescribed in Sub-Rule (1), the Speaker shall refer such amendments, which are admissible to the Committee and the Committee may, after considering such

amendments, make such changes in its recommendations as it deems fit.

(4) The final report of the Committee after considering the amendments mentioned in Sub-Rule (3) shall be laid on the Table. Thereafter, on the House agreeing to the report on a motion made by a member of the Committee, the amendments to the rules as approved by the House shall be incorporated in the rules.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा

नियम समिति

नियम समिति (2025–2026) की संरचना

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2. श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
3. श्री अशोक गोयल	सदस्य
4. श्री जरनैल सिंह	सदस्य
5. श्री प्रवेश रत्न	सदस्य
6. श्री संदीप सहरावत	सदस्य
7. श्रीमती शिखा रॉय	सदस्य
8. श्री उमंग बजाज	सदस्य
9. श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान	सदस्य

विधानसभा सचिवालय

1. श्री रंजीत सिंह	सचिव
2. श्री सदानंद साह	उप सचिव
3. श्री रविन्द्र कुमार	अनुभाग अधिकारी
4. श्री रघु नाथ	अनुभाग अधिकारी

विशेष आमंत्रित

श्री सी. वेलमुरुगन	विधि परामर्शदाता

प्रस्तावना

दिनांक 5 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों (जिन्हें आगे *नियम* कहा जाएगा) पर निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पुनर्विचार करने का निर्णय लिया:

दिल्ली विधानसभा के नियमों की समीक्षा और संशोधन:

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में किए गए संशोधनों की पुष्टि करना।

(ii) लिंग–निरपेक्ष और सरल भाषा अपनाना।

(iii) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नई समितियों को नियमों में सम्मिलित करना।

समिति के निर्देश पर, सचिवालय ने प्रक्रिया नियमों में नई समितियों के नियमों को सम्मिलित करने के लिए प्रथम प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया, जिसे अब सदन में प्रस्तुत किया जाना है।

नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के अनुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा और संशोधन तथा लिंग–निरपेक्ष और सरल भाषा के प्रयोग संबंधी प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति की ओर से, मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने में विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निष्ठावान और गहन प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

समिति के प्रथम प्रतिवेदन को समिति में दिनांक 31 जुलाई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार किया। समिति ने माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट और उनकी अनुपस्थिति में श्री अशोक गोयल, समिति के माननीय सदस्य को यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

दिल्ली
दिनांक: 01.08.2025

(विजेंद्र गुप्ता)
अध्यक्ष एवं सभापति,
नियम समिति

प्रतिवेदन

दिनांक 05 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि निम्नलिखित समितियों, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया था और जो पहले से ही कार्यरत हैं, उनके नियमों को दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में शामिल किया जाना चाहिए:

1. सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों संबंधी समिति
2. दिल्ली नगर निगम संबंधी समिति
3. प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार संबधी समिति
4. शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति
5. वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति।
6. ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति।

समिति ने दिनांक .... को आयोजित अपनी बैठक में सचिवालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित नियमों की विस्तार से जाँच की। नियम समिति द्वारा अनुमोदित छह समितियों के प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

1. सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों संबंधी समिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा–19 के अंतर्गत, विधान सभा के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं, जो समय–समय पर विधान सभा द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। वेतन, भत्तों और अन्य संबंधित मामलों में संशोधन के मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए, संसद और राज्य विधानसभाओं में वेतन और भत्तों संबंधी एक समिति होती है। दिल्ली विधानसभा में भी अध्यक्ष द्वारा हर साल वेतन और भत्तों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता रहा है। तथापि, यह किन्हीं नियमों और शर्तों के बिना तदर्थ रूप से कार्य करती रही है। इस समिति को स्पष्ट अधिदेश देने और इसके कामकाज को परिभाषित करने के लिए, समिति के नियमों को हमारे प्रक्रिया नियमों में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र) सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं संबंधी समिति

244 च. समिति का गठन

सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं संबंधी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे:

परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 छ. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

1. सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, तो उनमें संशोधन की सिफारिश करना।
2. सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, तो उनमें संशोधन की सिफारिश करना।
3. सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये ऐसे अन्य मामलों की जाँच करना और ऐसी सिफारिशें करना, जो वह उचित समझे।

2. दिल्ली नगर निगम संबंधी समिति

दिनांक 10 जून 2016 को आयोजित अपनी बैठक में, सदन ने तीन पूर्ववर्ती नगर निगमों, अर्थात् एस.डी.एम.सी, ई.डी.एम.सी और एन.डी.एम.सी, जिनका बाद में एक ही निगम के रूप में विलय कर दिया गया था, इनसे संबंधित मुद्दों के लिए दिल्ली नगर निगमों संबंधी एक समिति का गठन किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष ने हर साल समिति का पुनर्गठन किया। दिनांक 05 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति ने उक्त समिति के लिए नियम बनाने और प्रक्रिया नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया।
प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र क) दिल्ली नगर निगम संबंधी समिति

244 ज. समिति का गठन

दिल्ली नगर निगम संबंधी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे:
परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 झ. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –
1. दिल्ली नगर निगम के कामकाज में क्या मितव्ययिताएँ, संगठन में उन्नयन, कार्य क्षमता या सुधार किए जा सकते हैं, इसको रिपोर्ट करना।
2. दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए कौन–से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, इसको रिपोर्ट करना।
3. समिति द्वारा चयनित, दिल्ली नगर निगम के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों और लेखों पर विचार करना और रिपोर्ट करना:

4. स्वायत्तता के संदर्भ में, यह जाँच करना और रिपोर्ट देना कि क्या दिल्ली नगर निगम के मामलों का प्रबंधन कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है:

5. यह जाँच करना और रिपोर्ट देना कि क्या दिल्ली नगर निगम को स्वीकृत धनराशि का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है; और

6. दिल्ली नगर निगम के कामकाज के किसी अन्य पहलू की जाँच करना और रिपोर्ट देना, जो कि सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जा सकता है।

3. प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति

समिति का चयन पहली बार सदन द्वारा छठी विधानसभा के दौरान दिनांक 02.04.2018 को आयोजित अपनी बैठक में किया गया था। इसके बाद, अध्यक्ष द्वारा हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता रहा। समिति का गठन लोकसभा में इसी प्रकार की एक समिति की तर्ज पर किया गया है, जिसका गठन लोकसभा अध्यक्ष ने 15 सितंबर 2014 को किया था। समिति सिफारिश करती है कि इस समिति के नियमों को दिल्ली विधानसभा के नियमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र ख) प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति

244 ञ. समिति का गठन

विधायकों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्य होंगे:

परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 ट. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(1) अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई प्रत्येक शिकायत की जाँच करना, जो निम्न से संबंधित हो–

(i) सदस्यों के साथ शासकीय व्यवहार से संबंधित समय–समय पर बनाये गये प्रोटोकॉल मानकों का उल्लघंन,

(ii) प्रशासन और सदस्यों के मध्य शासकीय व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन; और

(iii) शासकीय व्यवहार के दौरान किसी सदस्य के साथ सरकारी सेवक द्वारा अनादरपूर्ण आचरण।

(2) ऐसी सिफारिशें करना, जो वह उचित समझे।

244 ठ. शिकायतों की जाँच की प्रक्रिया –

समिति द्वारा उसे सौंपी गई शिकायतों की जाँच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहाँ तक हो सके, विशेषाधिकार समिति द्वारा जाँच, निर्धारण और रिपोर्ट के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी।

4. शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति:

अध्यक्ष ने दिनांक 02 मार्च 2020 को शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति का गठन किया और उसके बाद हर साल इसका पुनर्गठन किया गया। दिनांक 05 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति ने, उक्त समिति के लिए नियम बनाने और उन्हें प्रक्रिया नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया। समिति के गठन और गवाहों को बुलाने की शक्तियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में "अजीत मोहन एवं अन्य बनाम विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य {जिसे फेसबुक मामला डब्ल्यूपी (सी) 1088/2020 के नाम से जाना जाता है}" मामले में चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर दी और विशेषाधिकार हनन के आधार पर कार्यवाही करने के विधानसभा के अधिकार और सदस्यों व गैर–सदस्यों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के उसके अधिकार को बरकरार रखा। हालाँकि, माननीय न्यायालय ने समिति के विचारार्थ विषयों से निम्नलिखित को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से परे था: *"4 (vii) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करना जिनके विरुद्ध अभियोगात्मक साक्ष्य पाए जाते हैं या हिंसा भड़काने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, शांति एवं सद्भाव समिति के प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र ग) शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति

244 ड. समिति का गठन

शांति एवं सद्भाव संबंधी एक समिति होगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम नौ सदस्य होंगे:

परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 ढ. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

1. किसी विशेष क्षेत्र/क्षेत्रों में व्याप्त परिस्थितियों, जिनसे सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के बिगड़ने की संभावना है या जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनके संबंध में जनता, सामाजिक

संगठनों, पत्रकारों आदि से प्राप्त याचिकाओं, शिकायतों या रिपोर्टों पर विचार करना तथा विस्तार से जांच करना और इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना।

2. स्थिति को शांत करने और धार्मिक समुदायों, भाषायी समुदायों या सामाजिक समूहों के बीच सद्भाव बहाल करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3. सांप्रदायिक हिंसा के दौरान साथी नागरिकों की सुरक्षा में भूमिका निभाने वाले या राज्य में शांति बहाल करने में सहायक किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों को मान्यता, पुरस्कार और सम्मान देना।

4. ऐसे व्यक्तियों को मान्यता, पुरस्कार और सम्मान देना, जिनकी सूचना के आधार पर, सांप्रदायिक दंगों के दौरान किए गए अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज की गई।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या की धार्मिक, भाषायी और सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करना ताकि उन कारकों की पहचान की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके, जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता के बावजूद लोगों को एकजुट करते हैं।

6. राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति स्थापित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना।

7. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो।

5. वरिष्ठ नागरिक कल्याण समितिः

वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का गठन दिनांक 02 जून 2025 को किया गया था। दिनांक 05 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति ने सहमति व्यक्त की कि उक्त समिति के नियमों को प्रक्रिया नियमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र घ) वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति

244 ण समिति का गठन

वरिष्ठ नागरिक कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 त. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सदन को रिपोर्ट करना।

2. निम्नलिखित के संबंध में शिकायतों और अभ्यावेदनों की जांच करना:

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और निष्पादन;

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को निपटाने वाले निजी तथा सरकारी संस्थानों और विभागों की कार्य प्रणाली;

3. यह सुनिश्चित करना कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का समुचित उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे नियत किया गया था।

4. उपर्युक्त किसी एक या सभी मामलों के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।

5. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो।

6. ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति

दिनांक 02 जून 2025 को 'ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति' का गठन किया गया। दिनांक 05 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, नियम समिति ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समिति के नियमों को प्रक्रिया नियमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित नियम इस प्रकार हैं:

(र ङ) ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति

244 थ. समिति का गठन

ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 द. समिति के कार्य:

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

1. ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सदन को रिपोर्ट करना।
2. निम्नलिखित के संबंध में शिकायतों और अभ्यावेदनों की जांच करना –

(i) ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और निष्पादन:

(ii) ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के मामलों को निपटाने वाले निजी तथा सरकारी संस्थानों और विभागों की कार्य प्रणाली:

3. यह सुनिश्चित करना कि ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का समुचित उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे नियत किया गया था।
4. उपर्युक्त किसी एक या सभी मामलों के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।
5. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो।

सिफारिश : नियम समिति यह सिफारिश करती है कि उपर्युक्त छह समितियों के प्रस्तावित और नियम समिति द्वारा यथा अनुमोदित नियमों को दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में सम्मिलित किया जाए।

दिल्ली
दिनांक: 01.08.2025

(विजेंद्र गुप्ता)
अध्यक्ष एवं सभापति,
नियम समिति

नियम समिति के नियमों का सार

214. समिति का गठन

नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अधिकतम नौ सदस्य होंगे। शेष सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

215. समिति के कार्य

सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करने और इन नियमों में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश करने के लिए एक नियम समिति होगी।

216. नियमों में संशोधन की सूचना

कोई भी सदस्य इन नियमों में से किसी में संशोधन की सूचना दे सकता है, लेकिन ऐसी सूचना के साथ संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण भी संलग्न होना चाहिए। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष उसे, यदि वह अनियमित न हो, तो समिति को विचारार्थ भेजेंगे।

217. समिति के सभापति

अध्यक्ष समिति के *पदेन* सभापति होंगे। यदि अध्यक्ष किसी कारणवश समिति के सभापति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं, तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि दोनों किसी कारणवश पीठासीन होने में असमर्थ हों, तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी को उस बैठक के लिए सभापति मनोनीत करेंगे।

218. नियमों में संशोधन की प्रक्रिया

(1) समिति की सिफारिशें सदन के पटल पर रखी जायेंगी और कोई भी सदस्य, समिति की सिफारिशों को सदन के पटल पर रखे जाने के दिन से प्रारंभ होकर तीन दिनों की अवधि के भीतर, समिति की सभी या किसी भी सिफारिश को समिति के पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव सहित, संशोधन की सूचना, ऐसे संशोधन के उद्देश्य और कारण सहित दे सकते हैं।

(2) यदि उप–नियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों में संशोधन की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो समिति की सिफारिशें उक्त अवधि की समाप्ति पर सदन द्वारा स्वीकृत मानी जायेंगी और नियमों में सम्मिलित कर ली जायेंगी।

(3) यदि उप–नियम (1) में निर्धारित अवधि के भीतर किसी संशोधन की सूचना प्राप्त होती है, तो अध्यक्ष ऐसे संशोधनों को, जो ग्राह्य हों, समिति को भेज देंगे और समिति ऐसे संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी, जो वह उचित समझे।

(4) उप–नियम (3) में उल्लिखित संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जाएगा। तत्पश्चात्, समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर, सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान किए जाने के बाद, सदन द्वारा यथा अनुमोदित संशोधनों को नियमों में सम्मिलित किया जाएगा।